''चीफ लोको इंस्पेक्टर'' विभागीय पदोन्नति परीक्षा धांधली में एक आरोपी को राहत मिली

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि, लोकपाल ने जांच शुरू करने से पहले याचिकाकर्ता को अनिवार्य सुनवाई का अवसर नहीं दिया

- ज्ञात रहे कि पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा ''चीफ लोको इंस्पेक्टर'' पद के लिए विभागीय पदोन्नति परीक्षा वर्ष 2023 में 13 तथा 17 मई को करवाई थी।
- इस परीक्षा को लेकर आरोप थे कि, रेलवे ऑफिसर्स ने घूस लेकर ओएमआर शीट में हेरफेर की और कुछ अभ्यर्थियों को पुनर्मूल्यांकन में लाभ पहुंचाया
- इस मामले में लोकपाल ने सी.बी.आई. को जांच सुपुर्द की थी, फिलहाल 5 अन्य आरोपियों के खिलाफ जांच जारी रहेगी

नई दिल्ली/जयपुर (कासं)। पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा आयोजित ''चीफ लोको इंस्पेक्टर'' पद के लिए विभागीय पदोन्नति परीक्षा 13 मई 2023 तथा 17 मई 2023 को करवाई गयी थी। इसमें कुल 96 उम्मीदवारों ने भाग लिया था और परिणाम 15 सितंबर 2023 को जारी किए गए। बाद में 6 सितंबर 2024 को लोकपाल के समक्ष शिकायत दर्ज की गई कि, इस परीक्षा में ओएमआर शीट में हेराफेरी की गई। शिकायत में आरोप यह भी लगाया गया था कि, रेलवे अधिकारियों ने रिश्वत लेकर कुछ उम्मीदवारों को लाभ दिया और मूल्यांकन अधिकारी तथा उम्मीदवार के बीच संदिग्ध कॉल रिकॉर्ड पाए गए।

लोकपाल ने इस मामले की प्राथमिक जांच सी.बी.आई. को सौंपी, जिसकी फोरेंसिक जांच में सामने आया कि, ओ.एम.आर. शीट में वाकई हेराफेरी की गई थी। मूल्याकंन अधिकारी भी कुछ अभ्यर्थियों से फोन पर बातचीत करता था। इसके प्राथमिक जांच के बाद सीबीआई को विस्तृत जांच करने के आदेश दिए गए थे, जिसकी रिपोर्ट 9 सितंबर 2025 को लोकपाल को सौंपी गई। जिसमें पांच रेलवे अधिकारी, जिन्हें पहले लोकपाल ने सुनवाई के लिए बुलाया था, के अलावा मुजाहत अली खान को भी आरोपी बनाया और मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश की गई। लोकपाल ने पश्चिम मध्य रेलवे के प्रवर्तन अधिकारी को मुजाहत अली खान से उसका जवाब लेकर लोकपाल के समक्ष प्रस्तुत करने के आदेश दिए थे। परंतु इस कार्रवाई के बीच मुजाहत को एफ.आई.आर. में आरोपी घोषित कर दिया गया था। जिस पर आपत्ति करते हुए मुजाहत अली खान ने दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष याचिका दायर की थी। अदालत ने कहा कि, लोकपाल द्वारा जांच के आदेश वहां तक सीमित किए जाते हैं, जहां तक याचिकाकर्ता मुजाहत अली खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की बात की गई है। क्योंकि उससे पक्ष सुना नहीं गया है। परंतु शेष 5 आरोपियों के खिलाफ जांच जारी रहेगी।

राजस्थान यूनिवर्सिटी की प्रोफ़ेसर नीलिमा गुप्ता को राष्ट्रीय सम्मान

''एस.एम.सी-मेंटर्स अवार्ड'' मुख्यत: राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाओं के वैज्ञानिकों को मिलता रहा है, किसी भी विश्वविद्यालय से इस सम्मान को पाने वाली पहली प्रतिनिधि है।

जयपुर। राजस्थान के विश्वविद्यालयों में अक्सर रसायनशास्त्र विषय केवल परीक्षा तक सीमित रह जाता है, लेकिन राजस्थान विश्वविद्यालय की प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता ने इसे शोध और संभावनाओं का क्षेत्र बना दिया है। उनके मार्गदर्शन में सैकड़ों छात्र-छात्राएँ अब स्वयं को भविष्य के शोधकर्ता के रूप में देख रहे हैं। चुपचाप चलती रही इस यात्रा को इस सप्ताह मुंबई में राष्ट्रीय मंच पर मान्यता मिली, जब राजस्थान विश्वविद्यालय के रसायन विभागाध्यक्ष प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता को मुंबई में आयोजित 7वीं मैटेरियल कैमेस्ट्री राष्ट्रीय कार्यशाला के दौरान ''एस.एम.सी-मेंटर्स अवार्ड 2025'' से सम्मानित किया गया।

किसी भी विश्वविद्यालय से इस सम्मान को पाने वाली पहली प्रतिनिधि है; इससे पहले यह पुरस्कार मुख्यत: राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाओं के वैज्ञानिकों के हवाले रहा है। पिछले 40 वर्षों से प्रोफेसर गुप्ता ने कॉलेज के लेक्चर हॉल तथा विश्वविद्यालय के विभिन्न मंच से छात्रों को लगातार यही संदेश दिया है, कि स्नातक तथा स्नातकोत्तर डिग्री पर न रुको, आगे बढ़ो और उच्च स्तर के शोधकर्ता बनो। उन्होंने देश-विदेश में लगभग 75 आमंत्रित व्याख्यान दिए और जयपुर में अनेक 100 से अधिक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों को आमंत्रित किया, जिनकी संगोष्ठियों और कार्यशालाओं से हज़ारों विद्यार्थियों को अत्याधुनिक रसायन और फ़ार्मा शोध से रूबरू होने का मौक़ा मिला। इनमें एक बड़ी संख्या ग्रामीण क्षेत्रों की उन छात्राओं की है, जो पहले खुद को केवल 'ग्रेजुएट' मानती थीं और अब शोध और अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं में रिसर्च करियर की कल्पना कर रही हैं।

पुरस्कार समिति और एसएमसी के अध्यक्ष प्रोफेसर ए. के. त्यागी ने कहा कि यह सम्मान प्रोफेसर गुप्ता की प्रभावशाली वैज्ञानिक मेंटरशिप और चार दशकों से अधिक समय तक अगली पीढ़ी के वैज्ञानिकों को संवारने की उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। राजस्थान विश्वविद्यालय की कुलगुरु प्रोफेसर अल्पना कटेजा ने भी इसे विभाग तथा विश्वविद्यालय में शोध-संस्कृति स्थापित करने की उनकी दीर्घ साधना की राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त करना बताया। प्रोफेसर गुप्ता ने इसे राजस्थान विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करते हुए देश के प्रमुख संस्थानों तथा वैज्ञानिकों के साथ कंधे से कंधा मिला कर खड़े होने का सम्मान बताया और कहा कि यह मुझे और अधिक छात्रों को शोध और नवाचार की राह दिखाने के लिए प्रेरित करता है।

आधुनिक तकनीक से लैस होगी राजस्थान पुलिस

अपराधियों की कुंडली निकालना अब होगा आसान

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर । राजस्थान पुलिस अब अपराध और अपराधी ट्रैकिंग में एक महत्वपूर्ण तकनीकी छलांग लगाने की तैयारी में है। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अपराध शाखा हवा सिंह घूमरिया के निर्देशन में राज्य की समस्त फील्ड यूनिट्स के लिए एनसीआरबी नई दिल्ली द्वारा एक गहन ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य पुलिस अधिकारियों को नवीनतम तकनीक और कानूनी उपकरणों से लैस करना है ताकि अनुसंधान की गुणवत्ता और गति बढ़ाई जा सके।

इस महत्वपूर्ण सत्र का संचालन एनसीआरबी, नई दिल्ली के डिप्टी डायरेक्टर आईजी जनमेजय खंडूरी और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा किया गया।

प्रशिक्षण में जिला पुलिस अधीक्षक, डीसीपी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, वृत्ताधिकारी, थानाधिकारी, और सीसीटीएनएस ऑपरेटर सहित पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों ने भाग लिया।

पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अपराध शाखा हवा सिंह घूमरिया के निर्देशन में राज्य की समस्त फील्ड यूनिट्स के लिए एनसीआरबी नई दिल्ली द्वारा गहन ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई।

पुलिस जांच को मिलेगी नई धार

आईजी खंडूरी ने एनसीआरबी के विभिन्न नए ऐप्स और डैशबोर्ड के उपयोग के बारे में बताया जो पुलिस के दैनिक कार्यों को सरल बनाएंगे। इस आधुनिक प्रशिक्षण से पुलिस को वांछित अपराधियों और महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के मामलों की जाँच में सहायता मिलेगी।

सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अब पुलिस अधिकारी अपराधियों की पूरी जानकारी को अधिक प्रभावी ढंग से निकाल और उपयोग कर सकेंगे। महानिरीक्षक एससीआरबी अजयपाल लाम्बा ने भी इन नवीन प्रावधानों और आधुनिक तकनीकी ऐप्स के महत्व पर जोर दिया।

यह कार्यशाला राजस्थान पुलिस को स्मार्ट पुलिसिंग की ओर ले जाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नवीनतम कानूनों और तकनीकी उपकरणों का ज्ञान पुलिस बल को डिजिटल युग की चुनौतियों का सामना करने और आपराधिक न्याय प्रणाली को और अधिक कुशल बनाने में सहायक सिद्ध होगा।

विप्र फाउंडेशन ने दी कानूनी लडाई की चेतावनी

जयपुर। विप्र फाउंडेशन ने मध्य प्रदेश में सेवारत अधिकारी संतोष वर्मा की ब्राह्मण बेटियों के बारे में विवादित टिप्पणी की कड़ी भर्त्सना की है। साथ ही कहा है कि जरूरत पड़ी तो कानूनी लडाई भी लडेंगे। विप्र फाउंडेशन के संस्थापक सुशील ओझा ने यहां जारी वक्तव्य में कहा है कि बेटियों के बारे में ऐसी घटिया सोच निश्चित रूप से किसी जाति या समाज की नहीं हो सकती। ये संतोष वर्मा जैसे गंदी मानसिकता वाले बीमार लोगों के विचार है। इनका समुचित उपचार करवाया जाना चाहिये। हम कानूनी तौर पर इलाज करेंगे। उन्होंने कहा कि विप्र फाउंडेशन सामाजिक सद्भाव को सुदृढ़ करने हेतु कृत-संकल्पित है, सदा रहेगा। उम्मीद है अजाक्स संगठन इसे प्रांतीय अध्यक्ष पद से बर्खास्त कर इसके ख़िलाफ छवि बिगाड़ने का मुकदमा दर्ज करवाएगा।

अखिल अरोड़ा से मिले महासंघ के प्रतिनिधि

जयपुर। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के शिष्टमंडल ने प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में मंगलवार को मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव अखिल अरोड़ा तथा कार्मिक शासन सचिव अर्चना सिंह से मुलाकात की। उन्होंने विश्वास जताया कि अब कर्मचारी समस्याओं को और तुरंत गति से निराकरण में सफलता मिलेगी। शिष्टमंडल में कुलदीप यादव, देवेंद्र सिंह नरूका, सुभाष यादव, नरपत सिंह, शेर सिंह यादव, कुलदीप, शर्मा, राहुल यादव, ओम प्रकाश चौधरी, बहादुर सिंह, सुरेश नारायण शर्मा आदि कर्मचारी नेता शामिल थे।

औद्योगिक क्षेत्रों में आवंटित भूखंड़ों का अनुमति उपयोग बदलवा सकेंगे आवंटी

- रीको प्रशासन के ईआरपी पोर्टल पर 26 नवंबर से आवेदन कर सकेंगे इच्छुक पट्टाधारी
- रीको की इस पहल से पट्टाधारियों को अतिरिक्त सुविधा तथा राज्य सरकार को राजस्व मिलेगा
- रीको प्रशासन की इस पहल से प्रदेश में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा मिलेगा एवं नवीन रोजगारों का सृजन होगा

जयपुर (कासं)। रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों में आवंटित भूखण्डों पर एक अनुमत उपयोग से दूसरे अनुमत उपयोग की स्वीकृति निर्धारित शुल्कों पर प्रदान की जा सकेगी। इस आदेश के अंतर्गत इच्छुक पट्टाधारियों को आवेदन प्रस्तुत करने के लिए रीको का ईआरपी पोर्टल 26 नवम्बर 2025 को प्रात: 10 बजे से खोला जायेगा। ज्ञात रहे कि रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों में आवंटित भूखण्डों की उपयोगिता और अधिक व्यावहारिक, पारदर्शी व समयानुकूल बनाने के लिए ''रीको भू-निपटान नियम, 1979 के नियम 20(सी)'' के सम्बन्ध में निदेशक मण्डल ने 24 अक्टूबर 2025 को आदेश जारी किए थे। आदेश के मुताबिक, अब इच्छुक पट्टाधारी अपने भूखण्ड पर एक अनुमत गतिविधि से दूसरी अनुमत गतिविधि परिवर्तित करना चाहें तो वे अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से रीको ऑनलाईन पॉर्टल पर आवेदन मय शुल्क 25 हजार रुपए तथा विहित दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते है। प्राप्त आवेदनों को परीक्षणोपरांत निर्धारित राशि जमा कराने पर एक अनुमत उपयोग/गतिविधि से दूसरे अनुमत उपयोग/गतिविधि की स्वीकृति जारी की जा सकेगी। रीको भू-निपटान नियम, 1979 के नियम 20 (सी) के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों का निस्तारण ''फर्स्ट कम फर्स्ट आउट (फीफो)'' के सिद्धांत पर निर्णय किया जाएगा।

विस्तृत नियम रीको की वेबसाइट पर उपलब्ध है। रीको की इस पहल से पट्टाधारी अपने भूखण्डों पर अन्य अनुमत गतिविधि का संचालन स्वीकृति के उपरान्त कर सकेंगे, जिससे न केवल उन्हें अतिरिक्त सुविधा प्राप्त होगी, बल्कि राज्य सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी भी होगी। इसके साथ ही इससे प्रदेश में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा मिलेगा एवं नवीन रोजगारों का भी सृजन होगा।

जयपुर में 30 लाख से अधिक परिगणना प्रपत्र डिजिटल हुए

जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. जितेन्द्र सोनी ने 95 बीएलओ को किया सम्मानित

जयपुर कलेक्ट्रेट में मंगलवार को उत्कृष्ट कार्य करने वाले बीएलओ का सम्मान हुआ।

- विपरीत परिस्थितियों में भी लक्ष्य हासिल करने वाले बीएलओ प्रेरणास्त्रोत बने : डॉ. जितेन्द्र सोनी

जयपुर (कासं)। विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत परिगणना प्रपत्रों के डिजिटलीकरण कार्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जुझारू, समर्पित एवं प्रेरक 95 बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) को जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया।

सम्मानित बीएलओ में दिव्यांग बीएलओ, पहली बार जिम्मेदारी संभालने वाले बीएलओ, सेवानिवृत्ति के निकट पहुंच चुके बीएलओ तथा वे अधिकारी भी शामिल हैं जिन्होंने भौगोलिक, शारीरिक व भावनात्मक चुनौतियों तथा सीमित संसाधनों के बावजूद लक्ष्य हासिल करने का जज्बा दिखाया। कई बीएलओ ने तो ऐसे क्षेत्रों में भी शत-प्रतिशत डिजिटलीकरण कर मिसाल कायम की, जहां इंटरनेट सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं।

जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. जितेन्द्र सोनी ने बीएलओ से संवाद के दौरान उन्होंने न केवल उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन की मुक्तकंठ से सराहना की, बल्कि यह भी कहा कि उनकी यह प्रतिबद्धता पूरे जिले के लिए प्रेरणास्त्रोत है। उन्होंने आग्रह किया कि वे अपने अनुभव, ऊर्जा और कार्यकुशलता को अन्य साथी बीएलओ तक पहुँचाकर उन्हें भी लक्ष्य प्राप्ति में मार्गदर्शन दें, ताकि पूरे जिले में पुनरीक्षण अभियान की गति और अधिक मजबूत एवं प्रभावशाली रूप में आगे बढ़ सके।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी मेघराज मीणा ने बताया कि सम्मान समारोह में चाकसू विधानसभा क्षेत्र के 23 बीएलओ, बस्सी विधानसभा क्षेत्र के 17 बीएलओ, आमेर विधानसभा क्षेत्र के 16 बीएलओ, शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र के 10 बीएलओ, झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के 9 बीएलओ, दूदू विधानसभा क्षेत्र के 7 बीएलओ, जमवारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के 6 बीएलओ, बगरू विधानसभा क्षेत्र के 4 बीएलओ तो वहीं, चौमूं, फुलेरा एवं विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र के 1-1 बीएलओ को सम्मानित किया गया।

इससे पूर्व भी विगत सप्ताह भी शत प्रतिशत डिजिटलीकरण का लक्ष्य हासिल करने वाले 4 बीएलओ को जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सम्मानित किया गया था।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी मेघराज मीणा ने बताया कि 30 लाख 75 हजार 806 यानी 63.77 फीसदी से अधिक परिगणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण किया जा चुका है।

उन्होंने बताया कि बस्सी विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख 96 हजार 216, शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख 98 हजार 474, चौमूं विधानसभा क्षेत्र में 2 लाख 9 हजार 42, चाकसू विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख 86 हजार 198, दूदू विधानसभा क्षेत्र में 2 लाख 5 हजार 869, फुलेरा विधानसभा क्षेत्र में 2 लाख 3 हजार 858, आमेर विधानसभा क्षेत्र में 2 लाख 26 हजार 410, जमवारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख 77 हजार 526, हवामहल विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख 59 हजार 273 परिगणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण किया जा चुका है।

उन्होंने बताया कि किशनपोल विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख 11 हजार 53, आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख 50 हजार 658, झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में 2 लाख 48 हजार 346, बगरू विधानसभा क्षेत्र में 2 लाख 4 हजार 271, सिविल लाइन्स विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख 28 हजार 706, मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख 15 हजार 472, सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख 80 हजार 685 एवं विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख 73 हजार 749 परिगणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण किया जा चुका है।

अभ्यर्थियों को बैक डेट की फर्जी डिग्री बेचने वाला बदमाश गिरफ्तार

पी.टी.आई. भर्ती परीक्षा फर्जीवाडे मामले में एस.ओ.जी. ने 25 हजार रुपए का इनामी बदमाश दबोचा

- आरोपित रवि त्यागी को पुलिस ने नोएडा से पकड़ा हैं, वह गिरफ्तारी से बचने के लिए देशभर के धार्मिक स्थलों पर छिपता रहा
- इस मामले में ओपीजेएस विश्वविद्यालय चूरू और जेएस विश्वविद्यालय शिकोहाबाद उत्तर प्रदेश के चांसलर, संचालक तथा पूर्व रजिस्ट्रार सहित कई आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं।

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी)ने कार्रवाई करते हुए शारीरिक शिक्षक (पीटीआई) भर्ती परीक्षा-2022 में अभ्यर्थियों को बैक डेट की फर्जी डिग्री बेचने के आरोप में 25 हजार रुपए का इनामी आरोपित रवि कुमार उर्फ रवि त्यागी को गिरफ्तार किया।

एसओजी की पूछताछ में सामने आया कि आरोपित फर्जी डिग्री देने वाली निजी यूनिवर्सिटी में रेगुलर स्टूडेंट का नाम काटकर रुपए देने वाले का नाम जोड़ देते या खाली सीट पर ऐसे युवाओं का नाम भरकर फर्जी डिग्री बनवा देते थे। फिलहाल एसओजी की ओर से मांगने पर भी इन डिग्रियों का रिकॉर्ड मुहैया नहीं करवाया जाता है।

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (एडीजी एसओजी) विशाल बंसल ने बताया कि आरोपित रवि त्यागी को नोएडा से पकड़ा गया। जो गिरफ्तारी से बचने के लिए देशभर के धार्मिक स्थलों पर छिपता रहा।

इस गिरोह ने विभिन्न विश्वविद्यालयों के माध्यम से बेक डेट की फर्जी डिग्रियां और अंकतालिकाएं तैयार करवाकर हजारों छात्रों तक पहुंचाई हैं। इस मामले में ओपीजेएस विश्वविद्यालय चूरू और जेएस विश्वविद्यालय शिकोहाबाद उत्तर प्रदेश के चांसलर,संचालक,पूर्व रजिस्ट्रार सहित कई आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं।

एडीजी बंसल ने बताया कि आरोपित रवि त्यागी जेएस विश्वविद्यालय शिकोहाबाद में नौकरी करते हुए फर्जी डिग्रियां बनवाने में मुख्य भूमिका निभाता। ओपीजेएस विश्वविद्यालय पर एसओजी की कार्रवाई की जानकारी लगते ही रवि त्यागी फरार हो गया था। रवि की गिरफ्तारी पर एसओजी ने 25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था। आरोपी के नोएडा में आने की जानकारी मिलने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि आरोपी रवि ने ओपीजेएस विश्वविद्यालय से खुद के लिए लॉ में पीएचडी की डिग्री बनवा रखी है। इस डिग्री पर भी संदेह है। इसके आधार पर उसकी पीएचडी की डिग्री की भी जांच की जा रही है।

एडीजी ने बताया कि बैक डेट में फर्जी डिग्रियां बेचने का खेल पीटीआई भर्ती परीक्षा 2022 में तेजी से चला था। जहां अलग-अलग निजी विश्वविद्यालयों के संचालकों ने दलालों के जरिए हजारों छात्रों को बैक डेट में फर्जी डिग्रियां बेची गई। पीटीआई भर्ती 2022 में चयनित अभ्यर्थियों का फर्जीवाड़ा सामने आने पर एसओजी ने केस दर्ज कर जांच शुरू की और जांच के दौरान अलग-अलग विभागों की भर्तियों में भी फर्जी डिग्रियों से नौकरी हासिल करने की जानकारी सामने आई हैं।

फिलहाल फर्जी डिग्री जारी करने के मामले में एसओजी टीम जांच कर रही है। माना जा रहा है कि जांच के दौरान और कई खुलासे हो सकते हैं।

गौरतलब है कि राजस्थान में सरकारी विभागों में भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक,डमी अभ्यर्थी बिठाकर परीक्षा पास कराने और फर्जी दस्तावेज के जरिए नौकरी हासिल करने के मामले में एसओजी की जांच लगातार जारी है।

अपात्रों को शिक्षक पद पर नियुक्ति देने पर रोक

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती-2021 में दो साल वाले डिप्लोमा से कम पात्रता रखने वालों को नियुक्ति देने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने यह आदेश मोहन सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता विश्वास शर्मा ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने 31 दिसंबर, 2021 को प्राइमरी और अपर प्राइमरी शिक्षकों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया। जिसमें अनिवार्य शर्त रखी गई कि अभ्यर्थी के पास प्राथमिक शिक्षा में दो साल का डिप्लोमा होना जरूरी है। याचिका में कहा गया कि पात्रता संबंधी विवाद को पूर्व में हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। वहीं इसके खिलाफ खंडपीठ में पेश अपील और सुप्रीम कोर्ट में दायर एसएलपी भी खारिज हो गई थी। ऐसे में यह पूर्व में ही तय हो चुका है कि तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए दो साल का बीएसटीसी डिप्लोमा होना जरूरी है। याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार अब एक साल का प्रमाण पत्र रखने वाले अभ्यर्थियों को इस पद पर नियुक्त कर रही है। जबकि उनके पास दो साल की अवधि का बीएसटीसी डिप्लोमा भी नहीं है। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार भर्ती विज्ञापन की शर्त में तय पात्रता की पालना सुनिश्चित करे और किसी भी अपात्र की भर्ती प्रक्रिया को आगे नहीं बढाए।

अपूर्वा स्मार्टफोन एप से पेशेंट की रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी संभव

जयपुर (कासं)। भगवान महावीर कैंसर अस्पताल की गाइनेकोलॉजिक ऑन्कोलॉजी विशेषज्ञ डॉ. अपूर्वा टाक ने केपटाउन में आयोजित इंटरनेशनल गाइनेकोलॉजिकल कैंसर सोसाइटी की ग्लोबल समिट में अपूर्वा स्मार्टफोन ऐप को प्लेनरी सेशन में प्रस्तुत किया। डॉ अपूर्वा एकमात्र भारतीय है जिन्हें यह मौका मिला। समीट में एप की सराहना करते हुए इसे मरीज-केंद्रित डिजिटल केयर के नए युग की शुरुआत बताया गया। राजस्थान की पहली एमसीएच सुपरस्पेशेयलाइज्ड गाइनी ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ अपूर्वा ने बताया कि आज के समय में चिकित्सा क्षेत्र में एआई टूल्स और सर्जरी में रोबोटिक्स का उपयोग बढ रहा है, ऐसे में अपूर्वा एप मरीजों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से बनाया गया है। यह एप मरीजों को अपने लक्षणों और तकलीफों को सरलता से रिकॉर्ड करने की सुविधा देता है। एप से प्राप्त डेटा को मरीजों के इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड (ईएमआर) से जोड़कर बीमारी और जीवन-गुणवत्ता से जुड़ा वास्तविक दुनिया का डेटा प्राप्त किया जा सकेगा। इससे उनकी रियल-टाइम मॉनिटरिंग, बेहतर संवाद और सही समय पर उपचार की शुरूआत का फायदा मिलने के साथ ही यह एप क्लीनिकल ट्रायल्स में डाटा संग्रह करने मे भी सहायक होगा। अपूर्वा (ऑटो इलेक्टानिक पेशेंट रिपोर्टेड आउटकम्स ऑन रियल टाइम वाया ईएमआर अमाल्गमेशन) को यूरोपियन सोसायटी ऑफ मेडिकल ऑन्कोलॉजी की गाइडलाइन के अनुसार तैयार किया गया है। डॉ अपूर्वा का चयन नेशनल कैंसर ग्रिड के प्रोग्राम इंटरनेशनल कोलोब्रेशन फॉर रिसर्च मैथडोलॉजी डवलपमेंट इन ऑन्कॉलोजी में 2024 में हुआ था। इसके तहत डॉ अपूर्वा ने यह एपअंतरराष्ट्रीय मेंटर्स जिसमें अमेरिका के कार्लोस रोड्रिगेज, कनाडा के क्रिस्टोफ़र बूथ, पेरिस के ज़ेवियर पाओलेटी के साथ ही चेन्नई के ए. एस. रामकृष्णन के मार्गदर्शन में पूरा किया गया है।